

SBI भारतीय स्टेट बैंक

केंद्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग
कॉर्पोरेट सेंटर, मुंबई
फोन: 022-2282 0427; फैक्स : 022-2282 0411; E-mail: crpd@sbi.co.in



प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण
विज्ञापन क्रमांक: सीआरपीडी/एपीपीआर/2019-20/14
आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण: 17/09/2019 से 06/10/2019 तक
ऑनलाइन परीक्षा: 23/10/2019 (संभावित)



Skill India
कौशल भारत-कुशल भारत

ऑनलाइन परीक्षा के लिए आमंत्रण-पत्र डाउनलोड करने की संभावित तिथि: 15/10/2019 से

भारतीय स्टेट बैंक पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रशिक्षु के प्रशिक्षण पर विचार कर रहा है।

उम्मीदवारों से निम्नलिखित वेबसाइट <https://nsdcindia.org/apprenticeship> या <https://apprenticeshipindia.org> या <http://bfsissc.com> या

<https://bank.sbi/careers> या <https://www.sbi.co.in/careers> पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने का अनुरोध किया जाता है।

जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अंतर्गत प्रशिक्षुओं के रूप में प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित अर्हता और अन्य मापदंड पूरा करने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित है :

ए) स्थान और प्रशिक्षण सीटों की संभावित संख्या:

राज्य	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	यूआर	कुल	एलडी	वीआई	एचआई	अन्य पीडब्ल्यूडी
हरियाणा	28	0	40	15	67	150	2	2	1	1
पंजाब	116	0	84	40	160	400	4	4	4	4
हिमाचल प्रदेश	37	6	30	15	62	150	2	2	1	1
कुल	181	6	154	70	289	700	8	8	6	6

संकेताक्षरों का पूरा रूप है: एससी - अनुसूचित जाति; एसटी - अनुसूचित जनजाति; ओबीसी - अन्य पिछड़ा वर्ग; ईडब्ल्यूएस - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग; यूआर - अनारक्षित श्रेणी; एलडी - चलन विकलांगता, वीआई - दृष्टिबाधित; एचआई - श्रवण बाधित; पीडब्ल्यूडी - दिव्यांग व्यक्ति अन्य दिव्यांग में दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 (1) के खंड 'डी' और 'ई' में यथा वर्णित दिव्यांग अर्थात् ऑटिज्म, विशिष्ट शिक्षण विकार, मानसिक रुग्णता और एकाधिक विकलांगताएँ शामिल हैं।

सीटों की संख्या का जिलेवार ब्यौरा निम्नानुसार है, जहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा :

हरियाणा (150): हिसार-31, करनाल-36, कुरुक्षेत्र-23, रोहतक-22 और सिरसा-38;

पंजाब (400): अमृतसर-31, बरनाला-40, भटिंडा-45, गुरदासपुर-40, जालंधर-28, लुधियाना-32, मोगा-40, मोहाली-30, मुक्तसर-31, पटियाला-37 और संगरूर-46;

हिमाचल प्रदेश (150): बिलासपुर-27, कांगड़ा-29, कुल्लू-21, नाहन-36, रामपुर-37

उपर्युक्त प्रशिक्षण सीटों की संख्या अस्थाई है और बैंक की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है।

आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. 36039/1/2019-ईएसटीटी (आरईएस) दिनांकित 31/01/2019 द्वारा नियंत्रित है।

अस्वीकरण: "ईडब्ल्यूएस रिक्रिया संभावित हैं और भारत सरकार के आगे के निर्देशों और किसी भी मुकदमे के परिणामों के अधीन हैं। नियुक्ति अस्थाई है और उचित चैनलों के माध्यम से सत्यापित किए जाने वाले आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र के अधीन है।"

ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 'आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने पर लिया जा सकता है।

बी) आय:

31/08/2019 को न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष।

इंगित अधिकतम आय अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए है। एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ऊपरी आय सीमा में छूट लागू है।

सी) शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षण:

विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण समग्र रिक्रिया के अंतर्गत है। विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान किया गया है। यह पद आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की अनुसूची में यथा परिभाषित मानदण्ड विकलांगता की निम्न श्रेणियों वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त अभिनिर्धारित किया गया है:

चलन संबंधी विकलांगता (एलडी), दृष्टिबाधित (वीआई), श्रवण बाधित (एचआई) और अन्य पीडब्ल्यूडी की 'डी' और 'ई' श्रेणियाँ: विशिष्ट अधिगम विकलांगता (एसएलडी), मानसिक रुग्णता (एमआई), ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एसडी) और एकाधिक विकलांगताओं का आशय एलडी, वीआई, एचआई, एसएलडी, एमआई और एसडी में कई विकलांगताओं से है।

ध्यान दें: जहाँ निर्दिष्ट विकलांगता की परिभाषा मापने योग्य शब्दों में न दी गई हो, वहाँ निर्दिष्ट 40% विकलांगता के साथ केवल "बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति" आरक्षण के लिए पात्र होंगे और इसमें प्रमाणित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित मापने योग्य शब्दों में परिभाषित निर्दिष्ट विकलांगता वाला व्यक्ति भी शामिल है।

जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, उसे आवेदन में निवास के प्रमाण पत्र में यथा उल्लेखित आवेदक के निवास के जिले के चिकित्सा प्राधिकारी या किसी अन्य अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी (प्रमाणनकर्ता प्राधिकारी) द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रारूप पर, नवीनतम विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि से पहले या उस पर प्रमाण पत्र दिनांकित होना चाहिए।

लेखक का उपयोग और प्रतिपूरक समय:

40% या उससे अधिक की विकलांगता वाले व्यक्ति को लेखक की सुविधा दी जाएगी, यदि उस व्यक्ति द्वारा ऐसी माँग की जाती है और केवल उन्हीं विकलांग व्यक्तियों के लिए है, जिनकी गति की सीमा सहित लिखने की शारीरिक सीमा है। ऐसे सभी मामलों में जिसमें लेखक का उपयोग किया जाएगा, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

- पात्र उम्मीदवार और जो परीक्षा में लेखक की सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में सावधानीपूर्वक इसे इंगित करना चाहिए।
- उम्मीदवार और लेखक दोनों को ऑनलाइन परीक्षा के समय लेखक की पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ निर्धारित प्रारूप में उपयुक्त वचन देना होगा।
- लेखक का उपयोग करने के लिए पात्र उम्मीदवार परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के पात्र होंगे, चाहे लेखक की सुविधा का लाभ ले रहे हों या नहीं।
- उम्मीदवार को अपनी लागत पर अपने स्वयं के लेखक की व्यवस्था करनी होगी।
- जैसा कि ऊपर संदर्भित किया गया है, दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखक का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं होने वाले किसी भी उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन परीक्षा में लेखक का उपयोग करने पर, उसे प्रशिक्षु की नियुक्ति की प्रक्रिया में आगे भाग लेने के लिए अपात्र कर दिया जाएगा।
- लेखक का उपयोग कर रहे किसी भी उम्मीदवार को सुनिश्चित करना होगा कि वह उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा में लेखक का उपयोग करने के लिए पात्र है।
- उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए लेखक का उपयोग करने वाला कोई भी उम्मीदवार अपात्र हो जाएगा और उसे बिना किसी सूचना के प्रशिक्षुता से हटाया जा सकता है, यदि पहले से ही बैंक में प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त है।
- जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखक का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी, देखें, विकलांगता मामलों का विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का कार्यालय ज्ञापन एफ. सं.16-110/2003-डीडीआईआईआई, दिनांकित 26 फरवरी, 2013 और वित्तीय सेवाओं का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण, देखें, पत्र क्रमांक एफ.सं. 3/2/2013-कल्याण दिनांकित 26/04/2013।

डी) 31/08/2019 को शैक्षणिक योग्यता:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक

ई) प्रशिक्षण की अवधि:

केवल एक वर्ष

एफ) वृत्तिका/लाभ:

प्रशिक्षु अधिनियम के अनुसार प्रशिक्षु संबंधित राज्यों में यथा लागू अर्ध-कुशल श्रम मजदूरी के 70% या रु.8000 प्रति माह के लिए पात्र हैं, जो भी अधिक हो। प्रशिक्षु किसी अन्य भत्ते/लाभ के लिए पात्र नहीं है।

जी) चयन प्रक्रिया:

प्रशिक्षुओं का नियुक्ति के लिए चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा और स्थानीय भाषा की परीक्षा के आधार पर होगा।

i. ऑनलाइन लिखित परीक्षा:

ऑनलाइन लिखित परीक्षा (ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ प्रकार) की संरचना इस प्रकार होगी।

क्रमांक	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि
1.	सामान्य/वित्तीय जागरूकता	25	25	15 मिनट
2.	सामान्य अंग्रेजी	25	25	15 मिनट
3.	परिमाणुत्मक अभिवृत्ति	25	25	15 मिनट
4.	तर्कशक्ति क्षमता एवं कंप्यूटर अभिवृत्ति	25	25	15 मिनट
	कुल	100	100	1 घंटा

जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रत्येक परीक्षा के लिए पृथक समय होगा।

सामान्य अंग्रेजी की परीक्षा को छोड़कर प्रश्न, द्विभाषी, अर्थात् अंग्रेजी और हिंदी में होंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न के लिए आवंटित अंक का 1/4 काटा जाएगा।

उम्मीदवारों को कुल अंकों में से न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है (एससी/एसटी/ओबीसी/दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 5% की छूट है)। कुल अंक में से न्यूनतम योग्यता अंक बैंक द्वारा तय किया जाएगा। अलग-अलग विषयों के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित नहीं हैं। मेरिट लिस्ट राज्यवार और श्रेणीवार निकाली जाएगी। परीक्षण में योग्य उम्मीदवारों को संबंधित राज्यों और श्रेणी में अवरोही क्रम में उनके कुल अंकों के अनुसार रखा जाएगा।

ध्यान दें: परीक्षा के संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी 'अपने आपको परिचित बनाएँ' पुस्तिका में दी जाएगी, जो परीक्षा के लिए आमंत्रण पत्र के साथ पात्र उम्मीदवारों को डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

ऑनलाइन परीक्षा 23/10/2019 (संभावित) को आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों की सूची निम्नानुसार है

राज्य	केंद्र
हरियाणा	अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, दिल्ली/नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद
हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, पालमपुर, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना
पंजाब	अमृतसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला, संगरूर, चंडीगढ़

- उम्मीदवार को उस केंद्र का नाम चुनना चाहिए जहाँ वह परीक्षा देना चाहता/चाहती है। हालांकि, एसबीआई के पास, प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर किसी भी परीक्षा केंद्र को निरस्त करने और/या अपने विवेकाधिकार से कुछ अन्य केंद्र जोड़ने का अधिकार सुरक्षित है। एसबीआई के पास उम्मीदवार को उसके द्वारा चुने गए केंद्र से भिन्न कोई भी अन्य केंद्र आवंटित करने का भी अधिकार सुरक्षित है।

परीक्षा केंद्र में बदलाव का कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- उम्मीदवार अपने जोखिम और खर्च पर आवंटित केंद्र पर परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे और एसबीआई किसी भी प्रकार की चोट या हानियों आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- परीक्षा हॉल में किसी भी उच्छृंखल व्यवहार/दुर्व्यवहार का परिणाम अभ्यर्थिता का निरसन और एसबीआई द्वारा आयोजित की जाने वाली भविष्य की परीक्षा के लिए अपात्रता हो सकता है।

ii. स्थानीय भाषा की परीक्षा:

राज्यों की निर्दिष्ट स्थानीय भाषाएँ इस प्रकार हैं:

राज्य	भाषा
हरियाणा	हिंदी/पंजाबी
पंजाब	पंजाबी/हिंदी
हिमाचल प्रदेश	हिंदी

जैसा कि ऊपर बताया गया है, किसी विशेष राज्य की रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को उस राज्य की निर्दिष्ट स्थानीय भाषा में से किसी एक में प्रवीण (पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना) होना चाहिए। निर्दिष्ट चुनी गई स्थानीय भाषा के ज्ञान की परीक्षा चयन प्रक्रिया के भाग के रूप में आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो उम्मीदवार इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में विफल रहेंगे, उन्हें प्रशिक्षु नहीं नियुक्त किया जाएगा। निर्दिष्ट स्थानीय भाषा का अध्ययन करने का साक्ष्य देने वाला 10वीं या 12वीं कक्षा का अंकपत्र/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों के लिए भाषा की परीक्षा आवश्यक नहीं होगी। उम्मीदवारों को अपने स्वयं के खर्च पर, आवेदन किए गए राज्य के किसी केंद्र (बैंक द्वारा तय किया जाएगा) पर निर्दिष्ट स्थानीय भाषा की परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा।

एच) भूमिकाएँ/जिम्मेदारियाँ:

प्रशिक्षु, यह बैंक में रोजगार नहीं है।

आई) आवेदन कैसे करें

उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और किसी अन्य स्वरूप में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई आवेदन शुल्क नहीं है।

(क) ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए दिशानिर्देश:

उम्मीदवारों को निम्नलिखित वेबसाइटों <https://nsdcindia.org/apprenticeship> या <https://apprenticeshipindia.org> या <http://bfsissc.com> या <https://bank.sbi/careers> या <https://www.sbi.co.in/careers> के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।

सहायता केंद्र: फॉर्म भरने में या प्रवेश/आमंत्रण पत्र में किसी भी समस्या की स्थिति में, टेलीफोन नंबर 022-22820427 पर पूछताछ की जा सकती है (कार्यदिवस पर पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे के बीच) या <http://cgrs.ibps.in> पर अपनी पूछताछ दर्ज करवाई जा सकती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ईमेल के विषय में 'एसबीआई में प्रशिक्षु का इंगेजमेंट' का उल्लेख करना न भूलें।

ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पूर्वापेक्षाएँ: उम्मीदवारों के पास वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। जिसे परिणामों की घोषणा होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। इससे उन्हें ईमेल/एसएमएस द्वारा आमंत्रण पत्र/सूचना आदि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

- जैसा कि फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करने के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत विस्तृत विवरण दिया गया है, उम्मीदवारों को सर्वप्रथम फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करना चाहिए (अनुलग्नक-1)।
- उम्मीदवारों को निम्नलिखित में से किन्हीं भी वेबसाइटों <https://nsdcindia.org/apprenticeship> या <https://apprenticeshipindia.org> या <http://bfsissc.com> या <https://bank.sbi/careers> या <https://www.sbi.co.in/careers> पर विज़िट करना चाहिए और वहाँ उपलब्ध उचित ऑनलाइन आवेदन पत्र खोलना चाहिए।
- आवेदन ध्यान से भरें। आवेदन पूरी तरह से भरे जाने के बाद, उम्मीदवारों को डेटा प्रस्तुत करना चाहिए। यदि उम्मीदवार एक बार में डेटा नहीं भर पाते हैं, तो पहले ही प्रविष्ट किए जा चुके डेटा को सुरक्षित कर सकते हैं। डेटा सुरक्षित होने पर सिस्टम द्वारा एक अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड दिया जाएगा और स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवारों को पंजीकरण संख्या और पासवर्ड को लिख लेना चाहिए। आवश्यकता होने पर, पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके सहेजे गए डेटा को फिर से खोला जा सकता है और विवरण को संपादित किया जा सकता है। यह सुविधा केवल तीन बार उपलब्ध होगी। आवेदन पूरी तरह से भरे जाने के बाद, उम्मीदवारों को डेटा जमा करना चाहिए। इसके बाद, पंजीकरण अंतिम होगा और किसी भी डेटा को बदलने/संपादित करने की अनुमति नहीं होगी।

(ख) फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करने के लिए दिशानिर्देश

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अनुलग्नक-1 में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों को अपनी फोटो और हस्ताक्षर स्कैन (डिजिटल) करने की आवश्यकता होगी, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है, उम्मीदवार द्वारा फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने तक ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

ध्यान दें:

- यदि फोटो में चेहरा या हस्ताक्षर अस्पष्ट है, तो उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
- यदि फोटो में चेहरा या हस्ताक्षर अस्पष्ट है, तो उम्मीदवार अपना आवेदन संपादित कर सकते हैं और अपनी फोटो या हस्ताक्षर फिर से अपलोड कर सकते हैं।

(ग) परीक्षा के लिए आमंत्रण पत्र:

उम्मीदवारों को 15/10/2019 से (संभावित रूप से) अपनी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करके वेबसाइट <https://nsdcindia.org/apprenticeship> या <https://apprenticeshipindia.org> या <http://bfsissc.com> या <https://bank.sbi/careers> या <https://www.sbi.co.in/careers> से काल लेटर और "Acquaint Yourself Booklet" को डाउनलोड करना चाहिए।

डाक द्वारा ऑनलाइन लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रण पत्र और अपने आपको परिचित बनाएँ पुस्तिका की कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी।

(डी) परीक्षा के समय प्रस्तुत किए जाने वाला पहचान पत्र:

उम्मीदवारों को स्कूल या कॉलेज/राजपत्रित अधिकारी द्वारा मूल रूप से जारी किए गए विधिवत प्रमाणित फोटो/पहचान पत्र के साथ पासपोर्ट/आधार/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता पहचान पत्र/बैंक पासबुक जैसा फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ-साथ उसकी स्व-प्रमाणित छायाप्रति लाना होगा। परीक्षा हॉल में निरीक्षकों को आमंत्रण पत्र के साथ पहचान पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें विफल रहने पर या उम्मीदवार की पहचान संदिग्ध होने पर उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ई) कदाचार का दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई:

- उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उन्हें असत्य, बनावटी जाली विवरण नहीं प्रस्तुत करना चाहिए और उन्हें आवेदन पत्र भरते समय किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना नहीं चाहिए।
- परीक्षा के समय, यदि उम्मीदवार को दोषी पाया जाता है (पाया गया है): (i) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों के उपयोग का या (ii) छद्म व्यक्ति बनकर छद्म व्यक्ति द्वारा परीक्षा देना (iii) परीक्षा हॉल में दुर्यवहार करने का या (iv) चयन के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेने का या (v) किन्हीं भी अनुचित साधनों द्वारा अपनी उम्मीदवारी के लिए सहायता प्राप्त करने का, तो ऐसे उम्मीदवार के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही तो होगी ही। साथ ही मुकदमा चलाए जाने का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त अग्रंकित के लिए भी उत्तरदायी होगा:
ए) परीक्षा से अपात्र घोषित किए जाना जिसके लिए वह उम्मीदवार है।
बी) बैंक द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी परीक्षा से, स्थाई रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित किए जाने का।
- बैंक द्वारा सदृश्यता के पैटर्न का पता लगाने के लिए परीक्षा में बैठे अन्य उम्मीदवारों के साथ उम्मीदवार के उत्तरों का विश्लेषण किया जाएगा। इस तरह के विश्लेषण के आधार पर, यदि यह पाया जाता है कि उत्तर साझा किए गए हैं और प्राप्तांक वास्तविक/वैध नहीं हैं, तो बैंक उनकी उम्मीदवारी निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- मोबाइल फोन, पेजर, कैलकुलेटर या ऐसे किसी भी तरह के उपकरणों का उपयोग:
 - परिसर के अंदर जहाँ परीक्षा आयोजित की जा रही है, मोबाइल फोन, पेजर या किसी अन्य संचार उपकरण की अनुमति नहीं है। इन निर्देशों का पालन न करने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी और भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंध सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
 - उम्मीदवारों को उनके अपने स्वयं के हित में परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर सहित किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को न लाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसके सुरक्षित रखे रखवा का आंशवासन नहीं दिया जा सकता।
 - उम्मीदवारों को परीक्षा परिसर में कैलकुलेटर का उपयोग करने या रखने की अनुमति नहीं है।

जे) सामान्य सूचना:

- उम्मीदवारों को इससे पहले एसबीआई में या किसी अन्य संगठन में प्रशिक्षु नहीं रहा होना चाहिए या प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अनुसार प्रशिक्षुता प्रशिक्षण नहीं लिया होना चाहिए।
- जिन उम्मीदवारों के पास शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद एक वर्ष या उससे अधिक अवधि का प्रशिक्षण या काम का अनुभव रहा है, प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- एसबीआई को प्रशिक्षुता अवधि के दौरान और/या के समापन के बाद प्रशिक्षुओं को नियमित रोजगार देने की कोई बाध्यता नहीं होगी। प्रशिक्षुता अवधि पूरी होने के बाद, उम्मीदवारों को संबंधित कार्य क्षेत्र से मुक्त कर दिया जाएगा।
- पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन की विधि, आंशिक या पूर्ण रूप से चयन प्रक्रिया निरस्त करने से संबंधित सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीटें भरना पूरी तरह से उम्मीदवारों की उपयुक्तता के आधार पर बैंक का विवेकाधिकार है और यदि इनमें से कुछ सीटें उम्मीदवारों की अनुपयुक्तता/अपर्याप्त संख्या के कारण नहीं भरी हैं तो नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं उत्पन्न होगा।
- अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन को पात्र नहीं माना जाएगा और अस्वीकृत माना जाएगा।
- उम्मीदवारों को प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी पात्रता के बारे में अपने आपको संतुष्ट कर लेना चाहिए। बैंक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर प्रशिक्षु के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए प्रवेश दिया जाएगा और दस्तावेज के सत्यापन के समय ही उनकी पात्रता का निर्धारण किया जाएगा। परीक्षाओं में प्रवेश दस्तावेजों के संदर्भ में उम्मीदवारों की आयु/योग्यता/श्रेणी (एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी) आदि के सत्यापन के बिना विशुद्ध रूप से अनंतिम होगा।
- उम्मीदवारों को उनके अपने स्वयं के हित में अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन करने और कनेक्शन कटने की संभावना/इंटरनेट पर भारी लोड या वेबसाइट जाम के कारण वेबसाइट पर लॉग इन करने में अक्षमता/विफलता से बचने के लिए अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करने की सलाह दी जाती है।
- पूर्वोक्त कारणों से या एसबीआई के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाने वाले उम्मीदवारों के प्रति एसबीआई कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।
- एक उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन नहीं प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एकाधिक आवेदनों की स्थिति में, केवल अंतिम वैध (पूर्ण) आवेदन मान्य होगा। परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा एकाधिक उपस्थिति/हाजिरी को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा / उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।
- परीक्षा के आयोजन में कुछ समस्याएँ खड़ी होने की संभावना को पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसका प्रभाव परीक्षा के आयोजन तथा परिणाम पर भी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में, इस तरह की समस्या को सुधारने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, और ऐसे प्रयास में यदि आवश्यक हुआ तो दूसरी परीक्षा का आयोजन शामिल है।
- उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने के बाद अपने सिस्टम से उत्पन्न ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने सलाह दी जाती है।
- माँगे जाने पर एससी/एसटी उम्मीदवारों को सूचीबद्धता के समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित प्रारूप में यह घोषणा करने वाला घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा कि पंजीकरण की अंतिम तिथि को वह क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है। 01/04/2019 से, उपयुक्त पाए जाने पर, प्रशिक्षु के रूप में सूचीबद्धता की तिथि के दौरान जारी किया गया 'गैर-क्रीमी लेयर' क्लाज ओबीसी प्रमाणपत्र सूचीबद्धता के समय जमा करना होगा।
- भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 'आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करके आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ लिया जा सकता है।
- उम्मीदवारों को सूचना अर्थात काल लेटर/सूचना आदि प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकृत ई-मेल आईडी/मोबाइल सक्रिय रखने की सलाह दी जाती है..
- चयनित उम्मीदवारों का इंगेजमेंट बैंक की आवश्यकता के अनुसार चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त घोषित होने के अधीन है और इस तरह का इंगेजमेंट बैंक के सभी प्रासंगिक नियमों/नीतियों/दिशानिर्देशों के अधीन होगी।
- इस विज्ञापन और/या इसकी अनुक्रिया में आवेदन से उत्पन्न होने वाले दावे या विवाद के किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही केवल मुंबई में की जा सकती है और मुंबई स्थित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/मंचों को ऐसे वाद/विवाद निपटाने का एक मात्र तथा विशेष क्षेत्राधिकार रहेगा।
- उम्मीदवारों को अपने खर्च पर परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना होगा।
- सभी उम्मीदवारों (सिवाय उत्तर पूर्वी राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों के, जहाँ वैकल्पिक पहचान पत्र से काम चलेगा) को इंगेजमेंट से पहले अर्थात प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले आधार संख्या प्रस्तुत करना होगा।
- बैंक किसी भी चरण पर समस्त चयन प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

के) घोषणाएँ:

इस प्रक्रिया से संबंधित सभी घोषणाएँ/शुद्धिपत्र समय-समय पर केवल वेबसाइट <https://nsdcindia.org/apprenticeship> या <https://apprenticeshipindia.org> या <http://bfsissc.com> या <https://bank.sbi/careers> या <https://www.sbi.co.in/careers> पर प्रकाशित किए जाएंगे/उपलब्ध कराए जाएंगे।

एल) दावा-परित्याग: यदि प्रशिक्षु इंगेजमेंट के किसी भी चरण पर यह पता चलता है कि उम्मीदवार द्वारा पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं किया गया है और/या कि उसने कोई गलत/मिथ्या जानकारी दी है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य (तथ्यों) को दबाया है, परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार में संलिप्त रहा है, तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। यदि इंगेजमेंट के बाद भी इनमें से कोई भी त्रुटि का पता चलता है, तो उसका प्रशिक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। पात्रता, लिखित परीक्षा, अन्य परीक्षाओं के संचालन और चयन से संबंधित सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में बैंक द्वारा कोई अभ्यावेदन या पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

किसी भी रूप में अनुयाचन अपात्रता होगी

यह विज्ञापन वेबसाइट : वेबसाइट [website https://nsdcindia.org/apprenticeship](https://nsdcindia.org/apprenticeship) या <https://apprenticeshipindia.org> या <http://bfsissc.com> या <https://bank.sbi/careers> या <https://www.sbi.co.in/careers> पर उपलब्ध है।

बैंक मुद्रण त्रुटियों, यदि कोई है, के लिए जिम्मेदार नहीं है।
किसी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी में जारी विज्ञापन मान्य होगा।

फोटो (4.5 से.मी. X 3.5 से.मी.) और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश.

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपनी फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई (डिजिटल) इमेज की आवश्यकता होगी.

फोटो की इमेज:

फोटो हाल की पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो होनी चाहिए.

सुनिश्चित करें कि फोटो रंगीन व हल्के रंग की हो और जहाँ तक हो सके श्वेत पार्श्वभूमि में हो.

स्वस्थ चित होकर कैमरे की ओर सीधे देखें.

यदि फोटो धूप में ली गई है, तो सूर्य आपके पीछे होना चाहिए, या अपने आप को छाया में रखें, जिससे आपका फोटो साफ आये.

यदि आपको फ्लैश का उपयोग करना है, तो सुनिश्चित करें कि लाल-आँख (रेड आई) न हो.

यदि आप चश्मा पहनते हैं, तो सुनिश्चित करें कि कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा है और आपकी आँखों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है.

टोपी, हैट और गहरे रंग के चश्मे स्वीकार्य नहीं हैं. धार्मिक पगड़ी की अनुमति है, लेकिन उससे आपका चेहरा ढकना नहीं चाहिए.

आयाम 200 X 230 पिक्सेल (वरीयतः)

फाइल का आकार 20-50 किलोबाइट के बीच होना चाहिए

सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का आकार 50 किलोबाइट से अधिक न हो. यदि फाइल का आकार 50 किलोबाइट से अधिक का है, तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान, स्कैनर की सेटिंग्स समायोजित करें जैसे कि डीपीआई रिज़ॉल्यूशन, रंगों की संख्या, आदि.

हस्ताक्षर की छवि:

- आवेदक को काली स्याही वाली कलम से श्वेत कागज पर हस्ताक्षर करना है.
- हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए.
- हस्ताक्षर का उपयोग काल लेटर पर मुद्रित करने के लिए और जहाँ भी आवश्यक होगा, किया जाएगा.
- यदि परीक्षा के समय उपस्थिति पत्रक पर आवेदक का हस्ताक्षर बुलावा पत्र पर मुद्रित हस्ताक्षर से मेल नहीं खाएगा, तो आवेदक को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा.
- आयाम 140 X 60 पिक्सेल (वरीयतः)
- फाइल का साइज 10 - 20 किलोबाइट के बीच होना चाहिए
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का आकार 20 किलोबाइट से अधिक का न हो - बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किया जाएगा.

फोटो और हस्ताक्षर की स्कैनिंग:

स्कैनर का रिज़ॉल्यूशन न्यूनतम 200 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) पर सेट करें

रंग सत्य रंग पर सेट करें

फाइल का आकार उपर्युक्तानुसार होना चाहिए

इमेज को फोटो/हस्ताक्षर के किनारे क्रॉप करें, फिर इमेज को अंतिम आकार (जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है) में क्रॉप करने के लिए अपलोड एडिटर का उपयोग करें.

इमेज की फाइल जेपीजी या जेपीईजी प्रारूप की होनी चाहिए. फाइल के नाम का एक उदाहरण है : इमेज01.जेपीजी या इमेज01.जेपीईजी. फ़ोल्डर फाइलों की लिस्टिंग करके या इमेज आइकन पर माउस को ले जाकर छवि के आयाम जाँच की जा सकती है.

एमएस विंडोज/एमएस ऑफिस का उपयोग करने वाले उम्मीदवार आसानी से एमएस पेंट या एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर का उपयोग करके क्रमशः 50 किलोबाइट और 20 किलोबाइट से अधिक नहीं. जेपीईजी प्रारूप में फोटो और हस्ताक्षर प्राप्त कर सकते हैं. किसी भी प्रारूप में स्कैन की गई फोटो और हस्ताक्षर को फाइल मेनू में 'सेव ऐज' विकल्प का उपयोग करके .जेपीईजी प्रारूप में सेव किया जा सकता है और 'छवि' मेनू में क्रॉप और रिसाइज विकल्प का उपयोग करके आकार 50 किलोबाइट (फोटो) और 20 किलोबाइट (हस्ताक्षर) से कम किया जा सकता है और (पिक्सेल आकार के लिए ऊपर दिया गया बिंदु (i) और (ii) देखें). इसी तरह के विकल्प अन्य फोटो एडिटर में भी उपलब्ध हैं.

यदि फाइल का आकार और प्रारूप निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं है, तो त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा.

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय, उम्मीदवार को अपनी फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए एक लिंक प्रदान की जाएगी.

फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की प्रक्रिया

- फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दो अलग-अलग लिंक होगा.
- संबंधित लिंक पर फोटो/हस्ताक्षर अपलोड करें पर क्लिक करें.
- जहाँ स्कैन की गई फोटो/हस्ताक्षर सेव किया गया है, वह स्थान ब्राउज़ और सिलेक्ट करें.
- उस पर क्लिक करके फाइल को चुनें.
- 'ओपन/अपलोड' बटन पर क्लिक करें

जब तक आप विनिर्देशानुसार अपनी फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं करेंगे, आपका ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत नहीं होगा.

ध्यान दें:

- (1) यदि फोटो में चेहरा या हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है तो उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटो/हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद, उम्मीदवारों को यह देख लेना चाहिए कि इमेज स्पष्ट हैं और ठीक से अपलोड हुआ है. यदि फोटो या हस्ताक्षर विशिष्टता से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उम्मीदवार अपना आवेदन संपादित कर सकते हैं और आवेदन पत्र जमा करने से पहले अपने फोटो या हस्ताक्षर को फिर से अपलोड कर सकते हैं.
- (2) ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद उम्मीदवारों को अपना सिस्टम निर्मित ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना चाहिए.